स्पीड पोस्ट / ई-मेल के द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.3/ईआर/2013/एसडीआर वाल्यूम-V दिनांक- 3 मार्च, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय – अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र – उसका प्रचार-प्रसार करना ।

महोदय/ महोदया,

आयोग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र नाम-निर्देशन पत्र के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और शपथ-पत्रों की पूर्ण हार्ड कापियां सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाती हैं । यदि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) का कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के कार्यालय से भिन्न स्थान पर हो तो शपथ-पत्रों में से प्रत्येक की कापी एआरओ के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जाती है । यदि आर.ओ. और ए.आर.ओ, दोनों के कार्यालय निर्वाचन-क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर हों तो शपथ-पत्रों की प्रतियां निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जानी होती हैं । इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति आर.ओ से शपथ-पत्रों की प्रतियों की मांग करता है तो उसको प्रतियां उपलब्ध कराई जानी होती हैं ।

2. भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से यह मांग की गई है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्रों में घोषित सूचना तक निर्वाचकों की अपेक्षाकृत अधिक आसान पहुंच के लिए, उनका और अधिक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए । तद्नुसार, इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की राय मांगी गई थी । विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आयोग द्वारा विचार किया गया है । मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि अधिकतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी शपथ-पत्र का सार हिस्सा, जैसाकि प्रपत्र 26 में शपथ-पत्र के भाग-II में दिया जाता है, निर्वाचन-क्षेत्र के भिन्न-भिन्न सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित करने के पक्ष में हैं ।

3. आयोग ने मामले पर समुचित विचार-विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र के सार भाग-II (प्रपत्र 26 के भाग ख में यथाउल्लिखित) सूचना के प्रचार-प्रसार के मौजूदा तरीके, जैसाकि ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित है, के अलावा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों जैसे (1) कलेक्ट्रेट, (2) जिला परिषद कार्यालय, (3) एस.डी.एम कार्यालय, (4) पंचायत समिति कार्यालय (यानि ब्लॉक कार्यालय), (5) निर्वाचन-क्षेत्र में नगर निकाय या निकायों के कार्यालय (6) तहसील/तालुका कार्यालय, और (7) पंचायत कार्यालय, में प्रदर्शित किए जाएंगे । यह अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख से 5 दिनों के भीतर किया जाएगा । कलेक्ट्रेट और जिला परिषद कार्यालय में सभी अभ्यर्थियों के शपथ-पत्रों के सार जिले के सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाएंगे । एक निर्वाचन-क्षेत्र के सभी सार इकट्ठे प्रदर्शित किए जाएंगे न कि छिन्न-भिन्न तरीके से । इसी तरह, यदि एक सब-डिवीजन में एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र हों तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सभी अभ्यर्थियों के सभी सार एस.डी.एम के कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे ।

कृपया इन अनुदेशों को लोक सभा, विधान सभा और विधान परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचनों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों, एस.डी.एम आदि को अवगत कराएं । ये अनुदेश राज्य सभा और विधायकों द्वारा चुने जाने वाले राज्य विधान परिषद निर्वाचनों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इन निर्वाचनों के लिए केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही निर्वाचक होते हैं ।

इन अनुदेशों का इसके बाद आयोजित होने वाले सभी निर्वाचनों में अनुपालन किया जाएगा ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय,

(एन. टी. भूटिया)
अवर सचिव